"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2009—भाद्र 6, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2009

क्रमांक ई-7/22/2004/1/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-07-2009 द्वारा श्री एन. के. असवाल, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग को दिनांक 06-07-2009 से 14-07-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री असवाल को दिनांक 15-07-2009 को एक दिवस का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2009

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.— श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 30-07-2009 से 01-08-2009 तक (3 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02-08-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2009

क्र. 5478/1885/21-ब/छ. ग./2009.— राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एम. एम. कारक, द्वारा तहसील पखांजूर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर से नोटरी के पद से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (क) के अंतर्गत उक्त नोटरी का नाम नोटरी रजिस्टर से हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2009

क्रमांक एफ 1-5/2004/13/1.—इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/13/1/2007, दिनांक 29-06-2009 द्वारा श्री मनोज डे को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. छ. ग. शासन, ऊर्जा विभाग के पूर्व अधिसूचना क्रमांक 1115/ऊ. वि./2002, दिनांक 19-03-2002 के अनुसार छ. ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग केअध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों की सेवा शर्तों को अधिसूचित किया गया था. तत्पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 3452/स./ऊ. वि./2002, दिनांक 07-09-2002 द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना के प्रावधान 1 (अ) में संशोधन कर अध्यक्ष व सदस्य का वेतन संशोधित रूप में अधिसूचित किया गया है.

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय शासन के अधीन कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु दिनांक 01-01-2006 से छठवें वेतनमान की सिफारिशें लागू होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 1-35/2004/13/1, दिनांक 24-12-2008 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य/सदस्यों हेतु वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्त नियम, 2003 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान का प्रावधान अधिसूचित किया गया है.

अत: श्री मनोज डे, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर को उक्त नियम, 2003 के तहत् अध्यक्ष को उल्लेखित वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें लागू होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, विशेष सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2009

क्रमांक/6029/2090/2008/25-2/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए भूतलक्षीय प्रभाव से (वर्ष 2007 से) छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति को स्व. शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि के रूप में रुपए 2.00 लाख (रुपए दो लाख मात्र) दिए जाने हेतु आदेशित करता है.

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु. ओ. नं. 237/23036/बी-3 दिनांक 1-8-2009 के अनुक्रम में जारी की जाती है.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2009

क्रमांक/6031/2090/2008/25-2/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए भूतलक्षीय प्रभाव से (वर्ष 2007 से) छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक संस्था को स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि के रूप में रुपए 2.00 लाख (रुपए दो लाख मात्र) दिए जाने हेतु आदेशित करता है.

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु. ओ. नं. 237/23036/बी-3 दिनांक 1-8-2009 के अनुक्रम में जारी की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2009

क्रमांक/980/2865/32/2007.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक को उस दिनांक के रूप में नियत करता है. इस दिनांक से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 निम्नलिखित नगरों के लिए अधिसूचित निवेश क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र में लागू होंगे :—

1. **निवेश क्षेत्र :—**

क्र. (1)	नगरों के नाम (2)	क्र. (3)	नगरों के नाम (4)	क्र. (5)	नगरों के नाम (6)	क्र. (7)	नगरों के नाम (8)
1	बलौदाबाजार	12	लोरमी	23	तिल्दानेवरा	35	चिरमिरी
2	गरियाबंद	13	मुंगेली	24	आरंग	36	मनेन्द्रगढ़
3	बागबाहरा	14	रतनपुर	25	अभनपुर	37	अंबिकापुर
4	सराईपाली	15	बिल्हा	26	अकलतरा	38	कुरूद
5	दंतेवाड़ा	16	खरसिया	27	बाराद्वार	39	चारामा
6	छुईखदान	17	जशपुर नगर	28	गौरेला	40	भानुप्रतापपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	पण्डरिया	18	पत्थलगांव	29	अड़भार	41	सारंगढ़
8	बालोद	19	जांजगीर	30	कोटा	42	कवर्धा
9	बेमेतरा	20	बलोदा	31	पामगढ़	43	खैरागढ़
10	दल्लीराजहरा	21	खरोरा	32	कटघोरा	44	डोंगरगांव
11	पेण्ड्रा	22	सिमगा	33	दीपिका	45	पण्डरिया
				34	बैकुंठपुर	46	छुईखदान

2. **विशेष क्षेत्र :—**

1 सीपत   2 तमनार   3 पूरा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्रमांक 4033/8210/2007/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालनालय में चतुर्थ श्रेणी सेवा में भर्ती के तरीके तथा विस्तार को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम :—**
   (1) यह नियम छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा तथा भर्ती नियम, 2009 कहलायेगा.

   (2) यह "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. **लागू होना :—** यह नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होगा.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि :—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती का तरीका, आयु सीमा और अन्य विषय अनुसूची के कॉलम (3) से (12) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे.

4. **भर्ती का तरीका :—**
   (1) इन नियमों के प्रारंभ से भर्ती निम्नलिखित नियमों द्वारा की जाएगी, अर्थात् :—
      (क) परीक्षा या साक्षात्कार द्वारा मेरिट के आधार पर चयन करके सीधी भर्ती द्वारा,
      (ख) विनिर्दिष्ट सेवा के विनिर्दिष्ट पदों में (चाहे मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से) नियुक्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा.

   (2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा की किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसको भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाये जाने वाला तरीका या तरीके, ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जायेगी.

(4) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा के उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगी जिन्हें कि वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें.

(5) मेरिट के आधार पर चयन से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये मापदण्ड सरकार द्वारा नियत किया जायेगा. इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति का गठन किया जाना आवश्यक होगा जो सरकार के परामर्श से अन्य अनुपातिक मापदण्ड भी अपना सकेगा.

5. **आरक्षण :—**

(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सीधी भर्ती के पदों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार आरक्षण रहेगा.

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(3) महिलाओं के लिए आरक्षण, महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदों में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

6. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी के, जिसकी मृत्यु सेवा अवधि के दौरान हुए हो के कुटुम्ब के किसी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे.

7. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—**इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या किया गया समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

अनुसूची

स. क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या		वेतनमान	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	आयु सीमा न्यूनतम/ अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिये विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	भर्ती के मामले में पदोन्नति द्वारा या पदों के स्थानान्तरण द्वारा, पदोन्नति या स्थानांतरण किया जायेगा	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति	टीप
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	दफ्तरी (मुख्यालय/ संचालनालय)	संचालनालय कार्यालय 01	क्षेत्रीय कार्यालय 0	वेतन बैड 4750-7440 ग्रेड पेय 1400	100% पदोन्नति द्वारा	—	8वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम क्र. 7 से 9	5 वर्ष की लगातार सेवा	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के समस्त पदों के लिए : 1. संयुक्त संचालक-अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक-सदस्य 3. उप संचालक-सदस्य सचिव	
2.	भृत्य	01	04	वेतन बैड 4750-7440 ग्रेड पेय 1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 35	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम क्र. 7 से 9	5 वर्ष की लगातार सेवा	वरिष्ठ संयुक्त संचालक समिति के अध्यक्ष होंगे. यदि सदस्य के रूप में निर्दिष्ट नहीं है तो आयुक्त/ संचालक, अधिकारी के नाम, नामांकित करेंगे जो उप संचालक के पद से निम्न श्रेणी का नहीं होगा.	
3.	चौकीदार	01	02	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—		

टीप :- (1) दफ्तरी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए भृत्य/चौकीदार को जोड़कर वरिष्ठता सूची बनाई जायेगी तथा वरिष्ठता सूची में कर्मचारियों के नाम, निम्न पदों पर उनके द्वारा स्थानापन्न रूप से की गई निरंतर सेवा के आधार पर रखा जायेगा.

(2) दफ्तरी के पद पर पदोन्नति के लिए, नामांकित विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा जिसे संयुक्त संचालक द्वारा नामांकित किया जायेगा.

Raipur, the 7th August 2009

No. 4033/8210/2007/18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV Service in Chhattisgarh Directorate Urban Administration and Development, namely :—

RULE

1. **Short Title :—**

(1) This rule may be called Chhattisgarh Directorate of Urban Administration and Development Class-IV Service and Recruitment Rule, 2009.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. **Application :—** This rule shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of Pay etc :—** The classification of service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with provisions contained in column (3) to (12) of Schedule.

4. **Method of Recruitment :—**

(1) From the commencement of these rules the recruitment shall be done by following rules ;—

(a) By direct recruitment through selection on the basis of merit by examination and interview;

(b) By transfer/deputation of persons appointed (whether officiating or substantive) in specified posts of specified service.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the services as may be required to be filled during any particular period or recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Government.

(4) Not withstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the services so require, the Government may, with prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may be order issued in this behalf, prescribe.

(5) The parameters for the posts to be filled by direct recruitment by selection on merit basic will be fixed by the Government then constitution of a selection committee for this purpose by the appointing authority will be necessary which may adopt these and other rational parameters with the concurrence of the Government.

5. **Reservation :—**

(1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994).

(2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women; Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special provision of Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

6. **Saving :—** Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for Ex-serviceman compassionatory appointment to the one member of the Family of the Government employees, who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

7. **Repeal and Saving :—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HEMANT PAHARE, Additional Secretary.

SCHEDULE

S. No.	Name of Post	Number of Post		Scale of Pay	Method of recruitment percentage of vacant post to be filled by direct recruitment or by promotion or by transfer and by different methods	Age limit Minimum/ Maximum	Prescribed Educational qualification	Period of probation trial if any	Whether in the case of promotion prescribed limit age and educational qualification to the direct recruitment will be apply	In case of recruitment by promotion or transfer post from with promotion transfer made	Selection committee for direct recruitment and promotion	Remarks
		Directorate Office	Regional Office									
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Daftaries (Head Office/ Directorate)	01	0	Vetan Band 4750-7440 Grade pay 1400	100% by Promotion	-	8th Pass	2 year	Column No. 7 to 9	5 years continuous service	For all the post of Class-IV category : 1. Joint Director-Chairman 2. Joint Director-Member 3. Deputy Director-Member Secretary.	
2.	Peon	10	04	Vetan Band 4750-7440 Grade pay 1300	100% by Direct Recruitment	18 to 35	5th Pass	2 year	Column No. 7 to 9	5 years continuous service	Senior most Joint Director will be Chairman of the Committee. In case if a member is not nominated then the Commissioner/Director shall nominate the names of the Officers who will not be below the rank of Dy. Director.	
3.	Chowkidar	01	02	—do—	—do—	—do—	—do—	—do—	—do—	—do—		

Note :- (1) To consider for promotion on the post of Daftari combined seniority list of Peon/Chowkidar shall be made and the name of employees in such seniority list shall be placed on the basis of officiating continuous service rendered by them on the lower posts.

(2) For promotion on the post of Daftari nominated Departmental promotional committee shall be constituted which shall be nominated by Joint Director.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्रमांक एफ-4-42/2006/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची दो के सरल क्रमांक 3 (ग) के कॉलम 05 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा उर्दू एक विषय के साथ, या उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-माहिर प्रमाण-पत्र".

No. F-4-42/2006/18.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes following amendment in the Chhattisgarh Nagarpalika Shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For the entries in column (5) against serial No. 3-C of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :—

"Higher Secondary Certificate Examination with Urdu as a subject or Higher Secondary Certificate Examination and Adib-E-Mahir Certificate from Zamia Urdu, Aligarh."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 5-23/2004/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-1/2009-एफ. सी दिनांक 28-04-2009 एवं 02-07-2009 में निहित निर्देशों एवं तद्विषयक मार्गदर्शी निर्देशों के परिपालन में, प्राकृतिक वनों के संरक्षण वन्य प्राणियों के प्रबंधन क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास एवं अन्य संबंधित कार्यों के प्रबंधन हेतु "राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण" (जिसे इसके बाद **राज्य कैम्पा** कहा जावेगा) का गठन करता है ।

प्रमुख उद्देश्य एवं मूल सिद्धान्तः— छत्तीसगढ़ प्राकृतिक वनों के संरक्षण वन्य प्राणियों के प्रबंधन क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास एवं अन्य संबंधित कार्यो के प्रबंधन हेतु "राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण" (जिसे इसके बाद राज्य कैम्पा कहा जावेगा) का गठन किया जाना आवश्यक है।

1— राज्य कैम्पा उपभोक्ता संस्थानों से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दांडिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, समग्र प्रत्याशा मूल्य (एन.पी.व्ही) एवं केन्द्र सरकार द्वारा वन संरक्षण नियम 1980 के अधीन स्वीकृति प्रदान करते समय नियत की गई शर्तो के परिपालन में जमा की गई तथा वर्तमान में एड—हॉक कैम्पा के पास जमा समस्त राशियां प्राप्त करेगा।

2— राज्य कैम्पा एड—हॉक कैम्पा से प्राप्त राशि का संचालन करेगा और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, प्राकृति सहाय पुनरूत्पादन, वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा, संरचना, विकास, वन्य प्राणी संरक्षण तथा सुरक्षा एवं इससे संबंधित अन्य कार्यकलापों तथा अन्य संबंधित एवं आकस्मिक कार्यो में इस राशि का उपयोग करेगा।

3— राज्य कैम्पा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं समग्र प्रत्याशा मूल्य से संबंधित कोष के नियमाक संस्था के रूप में कार्य करेगा यह उपलब्ध कोष का इस हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों के अधीन वनों के संरक्षण सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु व्ययन करेगा। इस राशि का उपयोग वन्य प्राणी संरक्षण एवं उनके वास स्थलों के विकास हेतु भी किया जावेगा।

4— राज्य कैम्पा वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़े बहु स्तरीय राशि उपलब्ध कराने हेतु एक समग्र ढांचागत संस्था का कार्य करेगा। इसका प्राथमिक कार्य वन विभाग में प्राकृतिक वनों का पुनरूत्पादन एवं इस कार्य में जुड़ी संस्थाओं का निर्माण होगा, जिसमें विभिन्न स्तर के वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वन परिक्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण का समावेश होगा। इसके द्वारा प्राप्त राशियों के उपयोग से क्षेत्रीय कर्मचारियों के आवास भवनों का निर्माण तथा आवश्यक मशीनों एवं उपकरणों को उपलब्ध कराना भी होगा। इनमें कर्मचारियों के निरीक्षण एवं सुरक्षा कर्तव्य निर्वहन के समय यात्रा के उचित संसाधनों का प्रावधान भी सम्मिलित है। संक्षेप में वनों एवं वन्य प्राणी वास स्थलों के संरक्षण एवं पुर्नविकास हेतु विभाग का आधुनिकिकरण किया जावेगा।

5— राज्य कैम्पा अपने कोष के एक छोटे भाग को यदि शासकीय कर्मियों की कमी हो तो संविदा कर्मचारियों पर व्यय का निर्णय ले सकती है। यह राज्य शासन पर आवर्ती व्यय न पड़े इसे ध्यान में रखते हुए किया जावेगा। यह राज्य से संबंधित अन्य कार्यकलापों को भी मूल सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में सम्पादन कर सकती है।

6— राज्य कैम्पा युवा एवं विद्यार्थियों में वनों के संरक्षण गतिविधियों की सहायता हेतु वन विभाग की मदद हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित कर सकती है।

– **लक्ष्य एवं उद्देश्य**– राज्य कैम्पा **निम्नांकित कार्यो को प्रोत्साहन करेगी**:–

(क) वर्तमान में विद्यमान प्राकृति वनों के प्रबंधन, संरक्षण, सुरक्षा एवं पुर्नरूत्पादन

(ख) वन्य प्राणी समूह एवं संरक्षित क्षेत्रों तथा उनसे बाहर संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन जिसमें संरक्षित क्षेत्रों का सुदृढ़िकरण सम्मिलित है।

(ग) क्षतिपूति वृक्षारोपण

(घ) पर्यावरण सेवा जिसमें सम्मिलित है –

(i) सामग्रियों का प्रावधान जैसे काष्ठ, अकाष्ठीय वनोपज, ईधन, चारा तथा जल, सेवाएं जिनमें पशु चराई, पर्यटन, वन्य प्राणी संरक्षण तथा जीवन सहायक सेवाओं का प्रावधान।

(ii) नियामक सेवायें, यथा जलवायु नियमक, बीमारी नियंत्रण, डिटाक्सिफिकेशन, कार्बन अवशोषण तथा मृदा, वायु एवं जल चक्र नियंत्रण

(iii) परिस्थितिकीय तंत्र, आध्यात्मिक, मनोरंजक, सौन्दर्य शोभा, प्रेरणादायक, शैक्षणिक तथा प्रतीकात्मक, से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ।

(iv) ऐसी अन्य सभी सेवाओं को सहायता देना जैसे परिस्थितकीय निर्माण सेवायें, जैव विविधता, पोषण चक्र तथा आधारभूत सुरक्षा।

(ण) अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण।

8 **राज्य कैम्पा के कार्य निम्नानुसार होंगे**– (i) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि के बदले किये जाने वाले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि आबंटन, संचालन एवं बढ़ावा देना।

(ii) इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित तथा वित्त पोषित वन क्षेत्रों में वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा सुरक्षा कार्य का नियंत्रण।

(iii) संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु प्राप्त की गई राशि का पृथक लेखा संधारण।

(iv) कार्यक्रम में पारदर्शिता लाना तथा नागरिक सहयोग का निर्माण।

(v) कोष के 2 प्रतिशत राशि को नियंत्रण एवं मूल्यांकन हेतु सुरक्षित करना।

9. **राज्य कैम्पा की स्थापना**– (1) निम्नानुसार राशियां राज्य कैम्पा के कोष में जमा किए जावेंगे :

(i) राज्य कैम्पा द्वारा एड–हॉक कैम्पा से प्राप्त राशि।

(ii) उपभोक्ता संस्थानों से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दांडिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, समग्र प्रत्याशा मूल्य (एन.पी.व्ही), जलग्रहण क्षेत्र उपचारण योजना अथवा केन्द्र सरकार द्वारा वन संरक्षण नियम 1980 के अधीन स्वीकृति प्रदान करते समय नियत की गई शर्तो के परिपालन में जमा की गई समस्त राशियां।

(iii) पूर्व में ही राज्य शासन द्वारा उपभोक्ता संस्थानों से वसूल की गई वे राशियां जो राज्य शासन द्वारा अभी तक एड–हॉक कैम्पा में जमा नहीं की गई हो।

(iv) वे सभी राशियां जो उपभोक्ता संस्थानों से संरक्षित वन क्षेत्र अर्थात् धारा 18, 26–A या 35, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (क्रमांक 53, वर्ष 1972) के अधीन अधिसूचित वन क्षेत्र में व्यपवर्तन बाबद जैव विविधता तथा वन्य प्राणियों में संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए वसूल की गई राशियों का अलग से संधारण किया जावेगा।

(v) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन तथा तद्विषय नियमों तथा दिशा निर्देशों के अंतर्गत एवं सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 29—10—2002 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संस्थानों से वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के संबंध में प्राप्त की गई समग्र प्रत्याशा मूल्य (एन.पी.व्ही)।

(2) राज्य शासन इस कोष में निम्न राशियां भी जमा कर सकेगी:

(क) आबंटन या सहायता (यदि कोई हो) द्वारा प्राप्त,

(ख) प्राधिकरण द्वारा लिये गये ऋण या प्राप्त की गई उधार राशि,

(ग) प्राधिकरण द्वारा दान, उपहार अथवा मूल्य संवर्धन द्वारा प्राप्त अन्य राशियां।

(3) यह कोष राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज उत्पादक खातों में रखा जावेगा तथा समय—समय पर संचालन समिति द्वारा स्वीकृत की गई राशि कार्य आयोजना के कार्यों के सम्पादन हेतु आहरित किया जावेगा।

10— **धनराशि का उपयोग**— राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध राशि का उपयोग निम्नांकित कार्य सम्पादन में किया जावेगा —

(i) स्वीकृत वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ) के अनुसार वनों के संरक्षण एवं वन्य प्राणियों के प्रबंधन तथा विकास एवं रख—रखाव हेतु व्यय।

(ii) राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध कोष के निवेश से प्राप्त ब्याज की आय का एक भाग राज्य कैम्पा के प्रबंधन में आवर्ती एवं एक मुश्त व्यय जिसमें इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते सम्मिलित हैं, परन्तु इसमें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18, 26 ए, 35 वन्य प्राणी अधिनियम, 1972 में अधिसूचित वन क्षेत्रों में व्यपवर्तन बाबद जैव विविधता एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वसूल की गई राशियों का लेखा अलग से संधारण किया जावेगा।

(iii) कोष के अधिकतम 2 प्रतिशत राशि को नियंत्रण एवं मूल्यांकन हेतु व्यय की जावेगी।

(iv) वन संरक्षण से संबंधित अन्य योजनाओं पर व्यय।

11— **कोष का संवितरण** — (1) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दांडिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचारण योजना तथा किसी अन्य क्षेत्र विशेष से संबंधित योजनाओं के लिए प्राप्त की गई राशि का उपयोग राज्य द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र विशेष से संबंधित योजनाओं पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन प्रदाय की गई वन भूमि व्यपवर्तन पर लागू शर्तों के साथ की जा सकेगी।

(2) राशि प्राप्त होने के एक वर्ष अथवा दो उत्पादक सीजन की अवधि में राज्य कैम्पा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कोष में जमा राशि के बाबद वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करेंगे।

(3) समग्र प्रत्याशा मूल्य के संबंध में प्राप्त राशि का उपयोग प्राकृतिक सहाय पुनरूत्पादान, वन प्रबंधन, संरक्षण, आधारभूत संरचनाओं के विकास, वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन, काष्ठ तथा वनोपज के उपयोग में कमी लाने वाली सामग्रियों के प्रदाय तथा तत्संबंधी अन्य सेवाओं के मद में किया जावेगा।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों अथवा राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड के संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संस्थानों से वसूल की गई राशि का पृथक कोष होगा और इसका उपयोग केवल राज्य के संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी कार्यक्लापों में किया जावेगा।

(5) राज्य कैम्पा स्वीकृत वार्षिक कार्य आयोजना के अनुसार पूर्व निर्धारित किश्तों में राशि क्षेत्रीय अधिकारियों को विमुक्त करेगी।

12– राज्य कैम्पा के संगठन में एक **शासी निकाय**, एक **संचालन समिति** तथा एक **कार्यकारी समिति** होगी।

13 (1) – राज्य कैम्पा **के शासी निकाय में निम्न सम्मिलित होंगे:–**

(i)	माननीय मुख्य मंत्री	–	अध्यक्ष
(ii)	माननीय वन मंत्री	–	सदस्य
(iii)	माननीय वित्त मंत्री	–	सदस्य
(iv)	मुख्य सचिव	–	सदस्य
(v)	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (वन)	–	सदस्य
(vi)	प्रमुख सचिव / सचिव (वित्त)	–	सदस्य
(vii)	सचिव, वन	–	सदस्य
(viii)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	–	सदस्य
(ix)	मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक	–	सदस्य
(x)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा)	–	सदस्य सचिव

शासी निकाय राज्य कैम्पा के लिए नीति निर्धारण करेगा तथा समय–समय पर कार्यो की समीक्षा करेगा ।

13 (2) – **संचालन समिति में निम्न सम्मिलित होंगे:–**

(i)	मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
(ii)	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (वन)	–	सदस्य
(iii)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	–	सदस्य
(iv)	प्रमुख सचिव / सचिव (वित्त)	–	सदस्य
(v)	सचिव, वन	–	सदस्य
(vi)	मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक	–	सदस्य
(vii)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ	–	सदस्य
(viii)	केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	–	सदस्य
(ix)	दो गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा मनोनित प्रतिनिधि जिन्हे राज्य शासन द्वारा एक समय दो वर्ष के लिए मनोनित किया जावेगा ।	–	सदस्य
(x)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा)	–	सदस्य सचिव

13 (3) – **संचालन समिति का कार्य :–**

(i) राज्य कैम्पा के शीर्ष उद्देश्यों एवं मूल सिद्धांतों के अधीन शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति के नियमों एवं कार्य संबंधि प्रक्रिया का निर्धारण करेगी।

(ii) राज्य कैम्पा द्वारा विमुक्त किए गए राशियों के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करेगी।

(iii) कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ.) को स्वीकृति देगी।

(iv) राज्य कैम्पा के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा अंकेक्षित लेखा की स्वीकृति देगी।

(v) अंतर्विभागीय सहयोग सुनिश्चित करेगी।

(vi) छः माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

14 (1) – **क्रियान्वयन समिति में निम्न सम्मिलित होंगे :–**

(i)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	– अध्यक्ष
(ii)	मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक	– सदस्य
(iii)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ	– सदस्य
(iv)	मुख्य वन संरक्षक (विकास)	– सदस्य
(v)	मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)	– सदस्य
(vi)	दो गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा मनोनित प्रतिनिधि जिन्हे राज्य शासन द्वारा एक समय दो वर्ष के लिए मनोनित किया जावेगा ।	– सदस्य
(vii)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा)	– सदस्य सचिव

(2) **क्रियान्वयन समिति का कार्य** – (i) संचालन समिति द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अधीन राज्य कैम्पा के प्रमुख उद्देश्यों एवं मूल सिद्धांतों को फलीभूत करने हेतु समस्त संभव उपाय करेगी।

(ii) सम्पूर्ण राज्य में विभिन्न गतिविधियों की मदवार कार्यकलाप एवं अनुमानित व्यय देते हुए वार्षिक कार्य आयोजना तैयार कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिसम्बर अंत तक पूर्व संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर संचालन समिति को राशि मुक्त करने की स्वीकृति प्राप्त करेगी।

(iii) राज्य कैम्पा द्वारा मुक्त की गई राशि से राज्य में कराए गए कार्यो के सम्पादन की देख–रेख करेगी एवं वर्ष में दो बार कार्यो की समीक्षा एवं मूल्यांकन रिपोर्ट संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी । समीक्षा एवं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत ही अगली किश्त जारी की जावेगी ।

(iv) कोष की प्राप्तियों और व्यय के समुचित अंकेक्षण हेतु उत्तरदायी रहेगी।

(v) कार्य सम्पादन एजेंसी स्तर पर रख–रखाव के स्तर का निर्धारण करेगी।

(vi) संचालन समिति के समीक्षा एवं विचारण हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए माह जून अंत तक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी।

15– **लेखा प्रक्रिया –**

(1) राज्य कैम्पा निर्धारित प्रपत्रों एवं अवधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपना आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट जिसमें अनुमानित आय एवं व्यय दर्शाया गया हो तैयार करेगी।

(2) राज्य कैम्पा वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ) की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु वित्तीय नियम एवं प्रक्रिया का संधारग करेगी।

(3) राज्य कैम्पा कोष का उचित लेखा एवं अन्य सम्यक अभिलेखों का संधारण करेगा तथा लेखा तथा महालेखकार, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लेखा का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी।

(4) राज्य कैम्पा के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा उनके द्वारा निर्धारित अंतराल में किया जावेगा तथा इस अंकेक्षण हेतु महालेखाकार द्वारा निर्धारित शुल्क या व्यय उनको भुगतान योग्य होगा।

(5) महालेखाकार अथवा उनके द्वारा राज्य कैम्पा के लेखा के अंकेक्षण के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के वही अधिकार होंगे जो महालेखाकार को सामान्यतः शासकीय लेखा के अंकेक्षण के समय होते हैं तथा महालेखाकार को लेखा संबंधी पुस्तकें, लेखा, संबंधित प्रमाणक तथा अन्य अभिलेख व कागजात मांगने एवं राज्य कैम्पा के कार्यालय के निरीक्षण के अधिकार होंगे।

(6) राज्य कैम्पा का लेखा, महालेखाकार अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित तथा वार्षिक प्रतिवेदन कैम्पा द्वारा प्रति वर्ष राज्य शासन को, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा एड–हॉक कैम्पा को भेजे जावेंगे।

(7) वार्षिक प्रतिवेदन में निम्नानुसार सम्मिलित होंगे।

(i) किये गये विभिन्न कार्यो एवं व्यय की गई राशि का विस्तृत विवरण।

(ii) विभिन्न श्रोतों से राज्य कैम्पा द्वारा प्राप्त राशि का विस्तृत विवरण।

(iii) अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज अन्य विशिष्ट टिप्पणी।

16– **कार्यो का मूल्यांकन एवं समीक्षा–** (1) राज्य को उपलब्ध कराए गए आबंटन से किए गए कार्यो के लगातार समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु एक स्वतंत्र व्यवस्था का विकास किया जावेगा तथा कोष के प्रभावी एवं उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इसका क्रियान्वयन किया जावेगा।

(2) राज्य कैम्पा को इसके कोष से सम्पादित कार्यो के निरीक्षण एवं वित्तीय अंकेक्षण का आदेश देने का अधिकार होगा।

(3) राज्य कैम्पा के कार्यकारी समिति यदि संतुष्ट है कि मुक्त किए गए आबंटन का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, आबंटित राशि में से शेष राशि रोकने अथवा निलम्बित करने की शक्ति होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिन्ज, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 5-23/2004/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-23/2004/10-2 दिनांक 24 जुलाई, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिन्ज, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 24th July 2009

No. F 5-23/2004/10-2.—The Government of Chhattisgarh, in compliance to the instructions contained in Ministry of Environment and Forests, Government of India's letter No. 5-1/2009-FC dated 28th April 2009 and guidelines of 2nd July 2009 issued on the subject, hereby constitutes "State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (herein after referred to as State CAMPA) to accelerate activities for preservation of natural forests, management of wildlife, infrastructure development in the sector and other allied works.

Overarching Objectives and Core Principles- 1. The State CAMPA would presently receive monies collected from user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, Net Present Value (NPV) and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act, 1980 and presently lying with the Adhoc CAMPA.

2. The State CAMPA would administer the amount received from the Adhoc CAMPA and utilize the monies collected for undertaking compensatory afforestation, assisted natural regeneration, conservation and protection and other related activities and for matters connected therewith or incidental thereto.

3. State CAMPA would serve as a common repository of funds accruing on account of compensatory afforestation and NPV. It would deploy funds as per guidelines governing the use of funds for conservation, protection and management of forests. The amounts would also be deployed for wildlife preservation and enhancement of wildlife habitats.

4. State CAMPA would provide an integrated framework for utilizing multiple sources of funding and activities relating to protection and management of forests and wildlife. Its prime task would be regenerating natural forests and building up the institution engaged in this work in the State Forest Department including training of the forest officials of various level with an emphasis on training of the staff at cutting edge level (forest range level). The amount received by it will also be utilized for providing residential accommodation to the field staff and necessary machines and equipments to them. These include appropriate arrangement for their conveyance during inspections and protection duty. In short, the department would be modernized to protect and regenerate the forests and wildlife habitat.

5. The State CAMPA may decide to utilize a minor part of its funds for contractual engagement of personnel wherever there is shortage of personnel. This should be done cautiously to avoid recurring revenue expenditure on the State Government.

6. The State CAMPA would also promote a voluntary movement of youth and students for supporting conservation activities initiated / ongoing in the State Forest Department.

7. **Aims and Objectives:-**

State CAMPA shall seek to promote:- (a) Conservation, protection regeneration and management of existing natural forests;

(b) Conservation, protection and management of wildlife and its habitat within and outside protected areas including the consolidation of the protected areas;

(c) Compensatory afforestation;

(d) Environmental services, which include:-

(i) Provision of goods such as wood, non-timber forest products, fuel, fodder and water, and provision of services such as grazing, tourism, wildlife protection and life support;

(ii) Regulating services such as climate regulation, disease control, flood moderation, detoxification, carbon sequestration, health of soils, air and water regimes;

(iii) Non-material benefits obtained from ecosystems, spiritual, recreational, aesthetic, inspirational, educational and symbolic; and

(iv) Supporting such other services necessary for the production of ecosystem services, biodiversity, nutrient cycling and primary production.

(e) Research, training and capacity building.

8. **The functions of State CAMPA shall include, *inter alia*-** (i) Funding, overseeing and promoting compensatory afforestation done in lieu of diversion of forest land for non-forestry use under the Forest (Conservation) Act, 1980;

(ii) Overseeing forest and wildlife conservation and protection works within forest areas undertaken and financed under the programme;

(iii) Maintaining a separate account in respect of the funds received for conservation and protection of Protected Areas;

(iv) Creating transparency for the programme and mobilizing citizen support; and

(v) Earmarking up two percent of the funds for monitoring and evaluation.

9. **Establishment of State CAMPA-** (1) The State Government by notification in the Official Gazette, hereby establishes the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (State CAMPA) in the Chhattisgarh State. There shall be credited into the account of State CAMPA –

(i) Amount transferred to it by the ad-hoc CAMPA;

(ii) Receipt of all monies from user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, Net Present Value (NPV), Catchment Area Treatment Plan or any money for compliance of conditions stipulated by the Central Government while according approval under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980;

(iii) The unspent funds already realized by State from user agencies and not transferred yet to the Adhoc Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority for crediting into the Fund by respective State;

(iv) The funds recoverable from user agencies in cases where forest land diverted falls within the protected areas, that is, areas notified under sections 18, 26A or 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for undertaking activities relating to the protection of biodiversity and wildlife, which would be maintained under a separate head; and

(v) Net Present Value of the forest land diverted for non-forestry purposes, collected under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the rules and the guidelines made there under and in pursuance of the judgment of the Supreme Court dated the 29th October 2002 from user agencies. And

(2) The State Government may also credit to the Fund-

(a) Grants or aid received if any;

(b) Any loan taken by the Authority or any borrowings made by it; and

(c) Any other sums received by the Authority by way of benefaction, gift or donations.

(3) The monies received in the Fund shall be kept in interest-bearing account(s) in nationalized Bank(s) and periodically withdrawn for the works as per the Annual Plan of Operations (APOs) approved by the Steering Committee.

10. Utilization of the Money- The money available with the State CAMPA shall be utilized for meeting:-

(i) Expenditure towards the development, maintenance and protection of forests and wildlife management as per the approved APO;

(ii) The non-recurring as well as recurring expenditure for the management of the State CAMPA, including the salary and allowances payable to its officers and other employees, by utilizing a part of the income from interest received by on funds invested by State CAMPA, but excluding income from funds recoverable from the user agencies in cases where forest land diverted falls within the protected areas, that is, areas notified under sections 18, 26A or 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 for undertaking activities related to protection of biodiversity and wildlife;

(iii) The expenditure incurred on monitoring and evaluation subject to overall ceiling of 2% of the amount to be spent every year; and

(iv) Disbursement on such other Projects related to forest conservation.

11. Disbursement of Funds:-

(1) The money received for compensatory afforesation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, Catchment Area Treatment Plan and for any other site specific scheme may be used as per site-specific schemes submitted by the State along with the approved proposals for diversion of forest land under the Forest (Conservation) Act, 1980.

(2) After receipt of the money, State CAMPA shall accomplish the afforestation for which money is deposited in the Compensatory Afforestation Fund within a period of one year or two growing seasons after project completion, as may be appropriate.

(3) The money received on account of Net Present Value (NPV) shall be used for natural assisted regeneration, forest management, protection, infrastructure development, wildlife protection and management, supply of wood and other forest produce saving devices and other allied activities.

(4) Monies realized from the user agencies in pursuance of the Hon'ble Supreme Court's orders or decision taken by the National Board for Wildlife involving cases of diversion of forest land in protected areas shall from a distinct corpus and shall be used exclusively for undertaking protection and conservation activities in protected areas of the State.

(5) State CAMPA shall release monies to the field officers in predetermined installments as per the Annual Plan of Operation (APO) finalized.

12. State CAMPA shall consist of a governing body, a Steering Committee and an Executive Committee.

13 (1) The Governing body of the State CAMPA shall consist of the following:-

(i)	Chief Minister	-	Chairperson
(ii)	Minister of Forests	-	Vice Chairperson
(iii)	Minister of Finance	-	Member
(iv)	Chief Secretary	-	Member
(v)	Addl. Chief Secretary / Principal Secretary (Forests)	-	Member
(vi)	Principal Secretary / Secretary (Finance)	-	Member
(vii)	Secretary Forests	-	Member
(viii)	Principal Chief Conservator of Forests	-	Member
(ix)	Chief Wildlife Warden	-	Member
(x)	Addl. Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)	-	Member Secretary

The Governing Body shall lay down the broad policy framework for the functioning of State level CAMPA and review its working from time to time.

13 (2) The Steering Committee of State CAMPA shall consist of the following:-

(i)	Chief Secretary	-	Chairperson
(ii)	Addl. Chief Secretary / Principal Secretary (Forests)	-	Member
(iii)	Principal Chief Conservator of Forests	-	Member
(iv)	Principal Secretary / Secretary (Finance)	-	Member
(v)	Secretary Forests	-	Member
(vi)	Chief Wildlife Warden	-	Member
(vii)	Managing Director, State M.F.P. Federation	-	Member
(viii)	A representative of the Ministry of Environment & Forests	-	Member
(ix)	Two eminent NGO's to be nominated by the State Government for a period of 2 years at a time	-	Member
(x)	Addl. Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)	-	Member Secretary

13 (3) The Steering Committee shall- (i) Lay down and / or approve rules and procedures for the functioning of the Governing body and its Executive Committee, subject to the overarching objectives and core principles of State CAMPA;

(ii) Monitor the progress of the utilization of funds released by the State CAMPA;

(iii) Approve the Annual Plan of Operation (APO) prepared by the Executive Committee;

(iv) Approve the annual reports and audited accounts of the State CAMPA;

(v) Ensure inter-departmental coordination;.

(vi) Meet at least once in six months.

14 (1) The Executive Committee shall consist of the following:-

(i)	Principal Chief Conservator of Forests	-	Chairperson
(ii)	Chief Wildlife Warden	-	Member
(iii)	Managing Director, State M.F.P. Federation	-	Member
(iv)	Chief Conservator of Forests (Development)	-	Member
(v)	Chief Conservator of Forests (Finance/Budget)	-	Member
(vi)	Two eminent NGO's to be nominated by the State Government for a period of 2 years at a time	-	Member
(vii)	Addl. Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)	-	Member Secretary

(2) The State level Executive Committee shall-

(i) Take all steps for giving effect to the State CAMPA and overarching objectives and core principles, in accordance with rules and procedures approved by the Steering Committee and the approved APO;

(ii) Prepare the APO of the State for various activities, submit it to the Steering Committee before end of December for each financial year, and obtain the Steering Committee's concurrence for release of funds, while giving break-up of the proposed activities and estimated costs;

(iii) Supervise the works being implemented in the State out of the funds released from the State CAMPA and present the monitoring and evaluation report at least twice before the steering committee every year. The next due installment shall be released only after the presentation of monitoring and evaluation report.

(iv) Be responsible for proper auditing of both receipt and expenditure of funds;

(v) Develop the code for maintenance of the account at the implementing agency level;

(vi) Submit reports to the Steering Committee for review / consideration; and

(vii) Prepare Annual Report by end-June for each financial year.

15. **Accounting Procedure-** (1) State CAMPA shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the State CAMPA.

(2) State CAMPA shall adopt financial regulations and procedures, in particular the procedure for approval and implementing the APO.

(3) State CAMPA shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such from as may be prescribed in consultation with the Accountant General concerned.

(4) The accounts of the State CAMPA shall be audited by the Accountant General at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Accountant General.

(5) The Accountant General and any other person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the State CAMPA shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General generally has in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the State CAMPA.

(6) The accounts of the State CAMPA as certified by the Accountant General or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon and annual report, shall be forwarded annually to the State Government, the MoEF and the Adhoc CAMPA by the State CAMPA.

(7) The Annual Report shall provide, *inter alia,* for--

(i) The details of various works done and the amount spent;

(ii) The details of the amount received by the State CAMPA from various sources; and

(iii) The observations made in the audit report.

16. **Monitoring and Evaluation of the works-** (1) An independent system for concurrent monitoring and evaluation of the works implementation in the States utilizing the funds available shall be evolved and implemented to ensure effective and proper utilization of funds.

(2) The State CAMPA shall have the powers to order inspection and financial audit of works executed by utilizing its funds in the State.

(3) On being satisfied that the funds released are not being utilized properly, the Executive Committee of the State CAMPA shall have the power to withhold or suspend the release of remaining funds or part thereof.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SERJIUS MINJ, Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 4 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	पथरिया प. ह. नं. 34	124	0.320	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जिला रायपुर, छ. ग.	सिलवा एनीकट निर्माण हेतु.
			118	0.057		
			122/1	0.057		
		योग	**3**	**0.434**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्रमांक/1456/अ-82/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	सिब्दी प. ह. नं. 4	0.28	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	खरखरा मोहदीपाट बरबस माइनर एवं सिब्दी माइनर क्र. 1 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मु. दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2009

क्रमांक/01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	नांदल प. ह. नं. 10	0.62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	हेम्प व्यपवर्तन योजना में नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2009

क्रमांक/03/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	जेवरा प. ह. नं. 10	1.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	हेम्प व्यपवर्तन योजना में नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2009

क्रमांक/04/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	झाल प. ह. नं. 07	6.61	कार्यपालन अभि., जल संसा. सं., बेमेतरा.	साल्हेघोरा जलाशय में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2009

क्रमांक/05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	बैजलपुर प. ह. नं. 27	1.14	कार्यपालन अभि., जल संसा. सं., बेमेतरा.	उघरा माइनर में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2009

क्रमांक/06/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	छीतापार प. ह. नं. 22	2.87	कार्यपालन अभि., जल संसा. सं., बेमेतरा.	छीतापार जलाशय योजना में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2009

क्रमांक/07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	गाड़ामोर प.ह. नं. 06	2.40	कार्यपालन अभि., जल संसा. सं., बेमेतरा.	झाल जलाशय योजना में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2009

क्रमांक/12/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	भदराली प.ह. नं. 19	2.45	कार्यपालन अभि., जल संसा. सं., बेमेतरा.	कटई व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 7 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र. 10-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	महीडबरा प. ह. नं.- 02	6.742	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	महीडबरा जलाशय एवं नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पण्डरिया के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 7 अगस्त 2009

प्रकरण क्रमांक 11-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	पुटपुटा प. ह. नं.- 02	5.694	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	पुटपुटा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 7 अगस्त 2009

प्रकरण क्रमांक 12-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	पोलमी प. ह. नं.- 02	4.135	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	पुटपुटा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 7 अगस्त 2009

प्रकरण क्रमांक 13-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	कांपादह प. ह. नं.- 21	1.550	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	अपर आगर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मौहापाली प. ह. नं. 19	5.324	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ. ग.)	मौहापाली जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बनसियां प. ह. नं. 10	3.110	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ. ग.)	बनसियां जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करतां है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोईंग प. ह. नं. 19	4.943	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ (छ. ग.)	लोईंग जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 6 अगस्त 2009

क्रमांक/4128/कले/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) **भूमि का वर्णन-**
 (क) **जिला-उत्तर बस्तर कांकेर**
 (ख) **तहसील-भानुप्रतापपुर**
 (ग) **नगर/ग्राम-चिचमर्रा**
 (घ) **लगभग क्षेत्रफल-5.02 हेक्टेयर**

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
236	0.08
242	0.38
266	0.02
240	0.30
325	0.70
335	0.02
339	0.26
337	0.25
407	0.21
409	0.08
341	0.39
345	0.03
403	0.07
408	0.30
420	0.01
224	0.87
336	0.12
706	0.22
241	0.08

(1)	(2)
239	0.40
468	0.06
404	0.17
योग	5.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा रावघाट रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चंपावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/11-अ/82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोपका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.951 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18/1, 2	0.040
247/1, 2, 3	0.061
21/1	0.291
28	0.081
29/1	0.061
29/2	0.101
29/3	0.101
31/1	0.078
31/2	0.050
31/3	0.050
32/1	0.101
32/2	0.109
33/1	0.061
191/1	0.101
197/4, 199/3	0.215
198/2	0.101
271	0.008
225/3	0.082
216/2	0.121
270/2	0.049
217	0.142
218	0.101
225/1	0.121
226/3 ख	0.112
219	0.012
201/1, 200/1	0.073
225/2	0.105
226/3 क	0.089
226/4	0.061
245/1	0.101
241/2, 245/2	0.081
245/3	0.008
246/1	0.162
268	0.020
269/1	0.125
269/2	0.061
270/1	0.012
861	0.040
865	0.057
862	0.202
863	0.101
874/1	0.101
875	0.162
876	0.049
901	0.101
902	0.340
903	0.061
927	0.049
928	0.012
952/1, 2	0.283
929	0.081

(1)	(2)
941	0.040
931/2	0.002
935/1	0.162
937/1	0.040
936/2	0.008
943	0.016
955/1	0.089
956/1	0.073
936/3	0.040
937/2	0.049
938	0.032
952/2	0.162
953/1	0.008
953/3	0.008
956/2	0.081
864/1, 866, 867, 868	0.190
200/2, 201/2	0.064
योग 68	5.951

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बायीं छोर वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/10-अ/82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.914 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/3	0.194
6	0.081
8	0.049
7	0.085
9	0.239
11	0.405
12/1	0.202
93	0.445
94	0.214
योग 9	1.914

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-दायीं छोर वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/14-अ/82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोपका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.264 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
552/1, 2	0.040

(1)	(2)
734/1	0.008
734/2	0.012
734/4, 5, 6	0.024
734/7	0.032
1543	0.121
1544	0.057
1545	0.020
1741	0.073
1546/1	0.004
1728	0.129
1546/2	0.065
1693	0.053
1547	0.077
1685	0.004
1692	0.032
1686	0.032
1687	0.028
1733	0.008
1689	0.045
1690	0.024
1790	0.085
1691	0.040
1696	0.072
1727	0.016
1738, 1769	0.117
1740	0.065
1743/1	0.028
1788	0.049
1772	0.045
1774/1, 2	0.045
1775	0.049
1783/8, 9, 10, 11, 12, 13	0.138
1789	0.008
1792/2	0.065
1847/1	0.255
1848/1	0.138
1866/12	0.206
1849/4	0.146
1866/5	0.202
1866/7, 8, 9, 10	0.235
1866/14	0.121
1866/18, 19	0.251
योग 43	3.264

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मोपका उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्रमांक 08/क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.89 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1577/3	0.29
1577/4	0.23
1577/5	0.12
1582/3	0.05

(1)	(2)
1582/4	0.45
1578/2	0.22
1578/3	0.14
1579/1	0.18
1579/3	0.40
1637	0.08
1642/3	0.32
1579/2	0.68
1639/2	0.03
1642/1	1.00
1639/3	0.07
1638/1	0.48
1633/1	1.00
1634/6	0.08
1629/4	0.05
1629/1	0.03
1629/2	0.45
1629/5	0.20
1628/4	0.07
1630/1, 1630/6	0.33
1628/5	0.49
1628/8, 1628/9	0.84
1626/3	0.61
योग 27	8.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अगस्त 2009

क्रमांक 10/क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-खैरा, प. ह. नं. 48

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.26 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
97/1	0.20
96/3	0.25
96/4	0.22
96/1	0.10
96/2	0.18
97/2	0.50
98/2	0.15
98/1	0.43
99	0.05
100, 101, 102/2, 103, 104, 105/1, 105/2	0.18
योग 10	2.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मड़वा तेन्दूभांठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, प्र. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2009

क्रमांक/1287/13 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डी
- (ग) नगर/ग्राम-कुसुमकसा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.19 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	113	0.08
	116/3	0.02
	116/6	0.07
	118	0.13
	119/15	0.04
	119/16	0.04
	119/14	0.02
	90/6	0.02
	120	0.03
	577/2	0.02
	579	0.02
	123	0.08
	130/2	0.11
	76/7	0.87
	80	0.12
	01	0.19
	115	0.04
	116/5	0.07
	116/4	0.09
	116/7	0.07
	90/3	0.07
	119/17	0.02
	90/4	0.02
	119/13	0.02
	121/2	0.03
	121/1	0.10
	577/1	0.03
	124	0.06
	130/1	0.14
	75	0.26
	79	0.07
	02	0.23
	575/2	0.01
योग	33	3.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अगस्त 2009

क्रमांक/1284/15 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डी
- (ग) नगर/ग्राम-चिपरा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 2.65 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1225	0.10
1033	0.06
1067	0.07
1100	0.10
1102	0.01
1106	0.08
1248/2	0.12
1319/1	0.15
1248/3	0.05

(1)	(2)
1250/2	0.01
1265	0.08
1266	0.04
1318/1	0.16
1319/2	0.05
1418/2	0.03
1423	0.18
1428/2	0.14
1430/1	0.01
1417	0.03
1428/1	0.02
1105	0.03
1101	0.01
1104/1	0.03
1107	0.02
1319/3	0.10
1248/2	0.16
1250/1	0.08
1226	0.04
1103	0.04
1269	0.06
1318/2	0.04
1418/1	0.16
1424	0.16
1425	0.10
1428/3	0.13
योग 35	2.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 13 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-पुरेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	1699/1	0.32
	1693/2	0.20
योग	2	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मड़वारानी परसाभाटा मार्ग के कि. मी. 2/4 पर सोनसेतु प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 13 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-जर्वे
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	592	0.03
	590	0.03
	603	0.01
योग	3	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मड़वारानी परसाभाटा मार्ग के कि. मी. 2/4 पर सोनसेतु प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 13 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-खरहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	367, 362	0.12
	369/2	0.24 1/2
	370/1, 371	0.45 1/2
	372	0.07
योग	6	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मड़वारानी परसाभाटा मार्ग के कि. मी. 2/4 पर सोनसेतु प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 13 अगस्त 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-पचपेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.39 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
109/1 ख	0.337
590	0.11
78/1, 106, 107	0.14
113/5	0.23
437/1, 437/2, 437/3	0.14
113/4	0.03
145/9	0.02
155/5	0.12
114/3	0.11
115	0.06
80/2	0.17

(1)	(2)
104/2	0.02
146, 586/2	0.03
80/1, 104/1	0.53
162	0.01
152	0.02
588/1	0.03
135	0.18
136	0.03
138	0.03
168/1	0.03
139	0.07
167	0.03
166	0.03
142	0.16
164	0.01
165	0.02
141/1	0.16
163	0.03
143, 144	0.21
145/8	0.02
155/2	0.02
150	0.06
151	0.06
157, 158	0.10
592/1	0.01
156	0.02
313	0.09
155/3, 155/4	0.04
155/1	0.01
435	0.09
434	0.01
411	0.02
412	0.02
356/1	0.03
357	0.03
358, 359	0.06
380, 381	0.13
382/2	0.03
415	0.07
592/5	0.02
582/1, 582/2	0.11
593/1, 593/2	0.10
593/4	0.05
592/3	0.01
592/4	0.01
589/1	0.04
589/2	0.04
योग 39	4.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोथारी सोहागपुर पचपेड़ी पहुंच मार्ग प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 21 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरिया, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
308/5	0.105
योग 1	105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-क्रांति जलाशय के नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 21 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र. 05/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
 (ख) तहसील-पण्डरिया
 (ग) नगर/ग्राम-देवसरा, प. ह. नं. 04
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	9/1	1.538
	9/3	1.551
	10	0.534
	7	0.417
योग	4	4.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवसरा जलाशय के स्पील चैनल एवं बैंक निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 7 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
 (ख) तहसील-पण्डरिया
 (ग) नगर/ग्राम-नरसिंगपुर, प. ह. नं. 06
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.808 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	157/3	0.040
	159/2, 160/2	0.158
	159/1, 160/1	0.166
	167/1, 168/1 ख	0.113
	167/2	0.057
	223/4	0.158
	221/2	0.162
	227/1, 227/3	0.162
	244/2	0.117
	255	0.194
	228, 230	0.036
	166/1	0.004
	29/2	0.486
	34/1	0.016
	81/1, 82/1	0.126
	34/2	0.004
	35/1	0.202
	35/3	0.227
	33	0.158
	36/3	0.004
	82/2, 82/3, 83/1	0.182
	84/4	0.016
	83/2	0.020
योग	23	2.808

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नरसिंहपुर जलाशय के नहर एवं स्पील चैनल निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 7 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पण्डरिया

(ग) नगर/ग्राम-कामठी, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.672 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/11	0.648
1/12	0.178
1/14 क	0.433
254/1-2	0.109
1/28	0.619
1/29	0.202
2/1	0.389
2/2	0.194
2/3	0.028
120/3	0.008
18/2	0.308
18/3	0.182
19/1	0.291
19/3	0.069
20/1 ख	0.121
20/2	0.243
25, 26, 28	0.364
124/2, 126	0.073
48	0.049
49	0.170
114, 115/1	0.085
117	0.045
50/3 क	0.340
50/3 ख	0.008
50/3 ग	0.154
50/3 च	0.397
51	0.008
90	0.020
232/1	0.299
256	0.016
82/1, 82/2, 87	0.364
291/2	0.093
111	0.283
119	0.020
113, 115/2	0.065
116	0.045
86	0.243
121	0.247
124/1	0.073
232/4	0.020
253	0.753
285/1 क	0.040
285/1 ख	0.154
285/1 ग	0.028
285/1 घ, 285/1 च	0.053
285/1 ङ	0.040
285/2	0.101
योग 47	8.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कामठी जलाशय के नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 7 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र. 03/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पण्डरिया

(ग) नगर/ग्राम-माठपुर, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.106 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3/1	0.251
	3/2	0.016
	34/2 क	0.113
	36	0.109
	76, 77	0.020
	73/1	0.077
	37	0.158
	74	0.101
	68/1	0.101
	154/1 ख, 156/1, 176/3 क, 179/1 क, 180/1 क	0.482
	154/1 ग, 156/2, 176/3 ख, 179/1 ख, 180/1 ख	0.040
	69/1	0.008
	73/2	0.073
	75/1, 78/1	0.012
	157/1, 158/1, 163/3 क, 172/2 क, 176/5	0.324
	161, 162, 167	0.231
	166/1	0.231
	145	0.024
	180/2, 181/1, 182	0.028
	146/2	0.283
	146/3	0.194
	146/4	0.032
	146/5	0.198
योग	23	3.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कामठी जलाशय के नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 7 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र. 07/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
(ख) तहसील-पण्डरिया
(ग) नगर/ग्राम-सनकपाट, प. ह. नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.757 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	14/1	0.142
	21/4	0.259
	21/8	0.356
योग	3	0.757

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड जलाशय योजना के बंडपार एवं डुबान क्षेत्र के निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 7 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र. 08/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
(ख) तहसील-पण्डरिया
(ग) नगर/ग्राम-भोयटोला, प. ह. नं. 08
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/1	0.405

	(1)	(2)
	46	0.526
	40/1 ख	0.405
	43/3	1.057
	50/2, 51	0.615
	41/1	0.490
	56/1	0.032
	41/2	0.490
	56/2	0.028
	41/3	0.490
	56/3	0.028
	43/1	0.615
	171/2, 172	0.445
	43/2	0.838
	55/2, 57	0.405
	124	1.215
	164/2	0.810
	160/1	0.405
	160/2	0.810
	160/3	0.526
	163	0.587
	164/1	0.810
	171/1	1.620
	173/2	0.810
	177/1	1.028
	177/5	2.429
	177/2	1.449
	177/6	0.607
	177/7	1.215
	177/8	0.810
	175/3	0.275
योग	31	22.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड जलाशय योजना के बंडपार एवं डुबान क्षेत्र के निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 7 अगस्त 2009

रा. प्र. क्र. 09/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मलकछरा, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.846 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	216/3	0.757
	216/4	0.753
	216/5	0.757
	221/1 क	1.013
	221/1 ग	0.453
	221/1 ङ	0.093
	221/1 घ	0.393
	221/1 च	0.150
	221/2	1.619
	222	0.020
	221/3	0.810
	223/1	0.494
	223/2	0.494
	247/2	0.619
	223/3	0.498
	247/3	0.619
	224	0.611
	227	1.397
	230/2	0.040
	231	0.126
	232/1	0.664
	244/1	0.587
	232/2	0.061
	244/2	0.190
	232/3	0.061
	244/3	0.190
	242	0.162
	245	1.215
योग	28	14.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाड जलाशय योजना के बंडपार एवं डुबान क्षेत्र के निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 8th August 2009

No. 542/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following Civil Judge Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Jitendra Kumar Thakur, Civil Judge Class-II.	Baikunthpur	Durg	Durg	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.
2.	Shri Mahesh Kumar Raj, Under Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority.	Bilaspur	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-II Vice Shri Jitendra Kumar Thakur.

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 10th August 2009

No. 138/L. G./2009/II-2-9/2005.—Smt. Anita Jha, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for (I) 07 days from 26-07-2009 to 01-08-2009 and permission to suffix holiday of 02-08-2009 along with the permission to leave headquarters in continuation of her sanctioned earned leave from 14-07-2009 to 25-07-2009 and (II) 20 days from 10-08-2009 to 29-08-2009 and permission to prefix holiday of 08th and 09th August, 2009 and suffix holiday of 30-08-2009 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deducation of the aforementioned leaves, 216 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.